कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या– 248 /26–11,(पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे) लखनऊः दिनांकः जुलाई 19 ,2017

सेवा में

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी,
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः– प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहारों के लिए ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण प्रस्तावित पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रसंख्या–550/Pdf/यूपीडा/16, दिनांक 23.05.2017

महोदय,

आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तावित पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के आस–पास पड़ने वाले 05 वन्य जीव विहार यथा (1–नवाबगंज पक्षी विहार जनपद–उन्नाव, 2–समसपुर पक्षी विहार जनपद–रायबरेली, 3–चन्द्रप्रभा पक्षी विहार जनपद–चन्दौली, 4–कैमूर वन्य जीव विहार जनपद–मिर्जापुर, 5–कछुआ वन्य जीव विहार जनपद–वाराणसी) के कम से कम 10 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित होने के सम्बन्ध में पुष्टि कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के कम में सम्बन्धित अधिकारियों से परीक्षण कर पुष्टि कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के कम में सूचित करना है कि प्रस्तावित पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे, वर्णित 05 वन्य जीव विहार (1–नवाबगंज पक्षी विहार जनपद–उन्नाव, 2–समसपुर पक्षी विहार जनपद–रायबरेली, 3–चन्द्रप्रभा पक्षी विहार जनपद–चन्दौली, 4–कैमूर वन्य जीव विहार जनपद–मिर्जापुर, 5–कछुआ वन्य जीव विहार जनपद–वाराणसी), से 10 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। अतः सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(विश[illegible] राय)
उप मुख्य [illegible] अधिकारी
उत्तर प्रदेश [illegible]सवेज औद्योगिक
वि[illegible] प्राधिकरण (यूपीडा)